



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327]

नई दिल्ली, बुध्पतिवार, मई 30, 2019/ज्येष्ठ 9, 1941

No. 327]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 30, 2019/ JYAISTHA 9, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2019

सं. 02/2019- केन्द्रीय उत्पादशुल्क (गै-टे०)

सा.का.नि. 391(ब).—केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियमावली, 2017 के नियम 3 के उप-नियम (1) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिनियम, 1944 के नियम 2 के उप-वाक्य (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड नीचे दी गयी सारणी के कालम (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है और उनको उक्त सारणी के कालम (4) में उल्लिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उक्त सारणी के कालम (3) में निर्दिष्ट केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिकारियों की सारी शक्तियाँ प्रदान करता है, यथा:-

| क्रम.सं० | अधिकारी                                                                   | केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिकारी, जिनकी शक्तियों का प्रयोग किया जाना है | उद्देश्य                                                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                         | 3                                                                    | 4                                                                                                                                                                                 |
| 1        | प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमाशुल्क न्यूवाशेवा-I, मुम्बई जोन-II, जे एन सी एच. | प्रधान आयुक्त /आयुक्त, केन्द्रीय उत्पादशुल्क                         | टिनी फार्मा एवं अन्य को जारी की गयी कारण बताओ नोटिस का अधिनिर्णयन. फा. सं. DRI/BZU/F/04/2006, दिनांक 13.05.2008 जिसमें केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिनियम, 1944 के प्रावधान निहित हैं। |

[फा. सं. 116/27/19-CX-3]

माजिद खान, उप-आयुक्त (CX-3)